

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
आदेश

विभागीय आदेश संख्या-839 दिनांक 18.03.16 द्वारा गठित बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय/बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में राजपत्रित कोटि के पदों के प्रोन्नति/स्थापना से संबंधित मामलों पर विचार एवं अनुशंसा करने हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के क्रमांक-2, पर अपर सचिव/संयुक्त सचिव के पदस्थापन तक, उनके स्थान पर उप सचिव को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

2. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि. प्रा. (I) स्था०-वि.प्रो.स.-01/14

1951 /पटना, दिनांक- 16-8-2017

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना एवं सभी विभागीय पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.8.17

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।